

01  
20/10/23

अधिकतम प्राप्ति अनुसंधान अधिनियम अध्याय 1  
 सं 02 व 03 उपरि उल्लिखित अधिनियम अध्याय 1  
 2 व 3 ने कथन किया कि तत्कालीन  
 अधिनियम नगर परिषद कोषों का अनुप  
 स्थानान्तरण हो गया है एवं तत्कालीन  
 समाप्ति नगर परिषद कोषों का कार्यकाल  
 पूर्ण हो गया है इस स्थानान्तरण  
 अधिनियम न हो गया है अतः प्रा. प. न.  
 स्वार्थिज जापाना जाके पत्रावली का अलोकन  
 किया गया जिस अधिनियम नगर परिषद  
 कोषों के विरुद्ध स्थानान्तरण प्र. प. न. प्रेष किया  
 गया है उनका अनुपस्थान स्थानान्तरण हो चुका  
 है एवं तत्कालीन समाप्ति नगर परिषद  
 कोषों का कार्यकाल पूर्ण हो गया है इस  
 स्थानान्तरण प्र. प. न. को चलाये जाने का  
 कोई अधिनियम नहीं रह गया है अतः  
 स्थानान्तरण प्र. प. न. स्वार्थिज किया गया है  
 पत्रावली फिलहाल मुद्रा होकर रखा चला  
 हो। स्थानान्तरण अधिनियम अध्याय 1

जिला कलेक्टर  
कोषा

